

महात्मा गांधी स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय
एवं
संबद्ध चिकित्सालय स्वशासी संस्था
इंदौर (मध्यप्रदेश)

ईमेल:-dean-mgmmc@mp.gov.in

कार्यालय दूरभाष नंबर:- 0731-2527383,2527679

वेबसाइट:-http://www.mgmmcindore.in/

मैस आवेदन फार्म

संस्था का नाम- म.गॉ.स्मृ.चिकित्सा महाविद्यालय इंदौर, छात्रावास- गर्ल्स
(वर्ष-2022)

मूल्य रुपये 2,000 /-
(प्रति मैस)



प्रतिष्ठापक

म. गॉ. स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय

महात्मा गांधी स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय, इन्दौर

महात्मा गांधी स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय इन्दौर के अंतर्गत आने वाले संस्थान म.गों.स्मृ. चिकित्सा महाविद्यालय इंदौर, छात्रावास की मैस के ठेके की शर्तें एवं नियमावली :-

(A) आवेदन प्रपत्र का मूल्य एवं धरोहर राशि

1. आवेदन प्रपत्र का मूल्य 2,000/-निर्धारित है यह प्रपत्र इस संस्थान के सर्विस शाखा से 2,000/- नगद जमा कर, विज्ञप्ति प्रकाशन दिनांक से प्राप्त किया जा सकता है।
2. आवेदन प्रपत्र संस्थान की वेबसाईट:-<http://www.mgmmcindore.in/>से डाउनलोड कर उसका उपयोग किया जा सकता है ऐसी स्थिति में संबंधित को राशि रु. 2,000/-का बैंक ड्राफ्ट/ पे-ऑर्डर "मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता म.गों.स्मृ.चिकित्सा महाविद्यालय इंदौर" के नाम से देय होगा, संलग्न करना अनिवार्य होगा।
3. ठेकेदार को आवेदन के साथ धरोहर राशि के रूप में सुरक्षा धनराशि रुपये 1,00,000/-अक्षरी एक लॉख रुपये की राशि "मुख्य कार्यपालन अधिकारी व अधिष्ठाता म.गों.स्मृ.चिकित्सा महाविद्यालय इंदौर" के नाम, A/C of Tender purchaser से फिक्सड डिपॉजिट जो किसी राष्ट्रीयकृत बैंक की हो, जिसकी अवधि कम से कम तीन वर्ष की हो, प्रस्तुत करनी होगी।
4. ठेका स्वीकृत होने पर संबंधित को छः माह का किराया भी अग्रिम रूप से जमा करना होगा।
5. यदि ठेकेदार एक वर्ष के पूर्व स्वेच्छा से मैस का कार्य बंद करना चाहता है तो ऐसी स्थिति में धरोहर राशि राजसात हो जावेगी।

(B) आवेदन जमा करने की अंतिम दिनांक व समय तथा आवेदन खोलने की दिनांक समय व स्थान


1. आवेदन जमा करने की अंतिम दिनांक 18.04.2022 समय 05:30 बजे तक निर्धारित है, सील बन्द प्रस्ताव अधिष्ठाता महात्मा गांधी स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय इन्दौर के कार्यालय में निर्धारित समय तक प्राप्त होना चाहिए।
2. प्री-बीड मीटींग दिनांक 30.03.2022 समय 02:00 बजे अधिष्ठाता महात्मा गांधी स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय इन्दौर के कांफ्रेंस हॉल में रखी जावेगी।
3. प्राप्त आवेदन दिनांक 21.04.2022 समय 02:00 बजे अधिष्ठाता महात्मा गांधी स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय इन्दौर के कांफ्रेंस हॉल में खोले जावेंगे।
4. जो आवेदनकर्ता इसमें उपस्थित रहना चाहते हैं वे उपस्थित रह सकते हैं।

(C) आवेदन धरोहर राशि प्रपत्र, प्रस्ताव, दरें आदि जमा करने की प्रक्रिया।


इच्छुक आवेदनकर्ताओं को प्रपत्र अ (सील बंद लिफाफे), प्रपत्र ब (सील बंद लिफाफे) तथा प्रपत्र स (सील बंद लिफाफे) को एक सील बंद लिफाफे में निर्धारित समय तक प्रस्तुत करना होगा।

(D) अन्य आवश्यक शर्तें ।


1. मैस में कार्यदिवस/शैक्षणिक दिवस में मैस में चाय, नास्ता, भोजन आदि हेतु उपस्थिति की अनुमानित संख्या आवेदन भरने के पूर्व आप स्वयं आंकलन करे।
2. मैस का उपलब्ध क्षेत्रफल जो कि मैस संचालक को संचालन हेतु दिया जावेगा, अन्य क्षेत्र का उपयोग निषेध होगा। केन्टिन/मैस हेतु संस्था द्वारा यथास्थिति में स्थान उपलब्ध करवाया जावेगा उक्त स्थल पर रेनोवेशन आदि कार्य निविदाकर्ता को स्वयं के खर्च पर करना होगा। अतः आवेदनकर्ता आवेदन के पूर्व स्थल का निरीक्षण कर लें।
3. P.F./E.P.F. का लायसेंस अनिवार्य रहेगा।
4. फर्म के 04 वर्ष का स्थापना का लायसेंस अनिवार्य रहेगा।
5. चरित्र प्रमाण-पत्र सर्टिफिकेट (कार्यरत संस्थान द्वारा प्रमाणित) अनिवार्य रहेगा।
6. आवेदन पत्र में उल्लेखित वचन पत्र (नोटराईज्ड) अनिवार्य रहेगा।
7. टेण्डर फार्म प्रत्येक पेज पर हस्ताक्षर किया हुआ हो अनिवार्य रहेगा।


अधिष्ठाता
म. गों. स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय
इन्दौर

8. नगर निगम/सक्षम अधिकारी खाद्य विभाग द्वारा कार्य हेतु योग्यता के संबंध में जारी प्रमाण-पत्र/लाईसेंस अनिवार्य रहेगा।
9. संस्था का जी.एस.टी. नं. एवं पेन नं. अनिवार्य हैं।
10. C.A द्वारा प्रमाणित सर्टिफिकेट प्रतिवर्ष 3 करोड़ का मिनिमम टर्न-ओवर (पूर्व के 03 वित्तीय वर्षों का) हो जो कि सिर्फ केटरिंग कार्य से हो। कोरोना महामारी के कारण वित्तीय वर्ष 2020-21 के टर्न ओवर को सम्मिलित नहीं किया जावेगा। वर्ष 2018-19, 2019-20 तथा वर्ष 2021-22 के टर्न ओवर को सम्मिलित किया जावेगा।
11. फोटोयुक्त पहचान पत्र-आधार कार्ड या ड्रायविंग लाइसेंस अनिवार्य रहेगा।
12. म.गॉ.स्मृ.चिकित्सा महाविद्यालय इंदौर, छात्रावास- गर्ल्स, इंदौर की मैस का ठेका आपके अधिपत्य दिनांक से तीन वर्ष तक की अवधि के लिये हैं। एक वर्ष उपरान्त दोनो पक्षों की सहमति पर कार्य संतोषप्रद पाये जाने पर इन्हीं शर्तों पर या संशोधित शर्तों पर आगामी अधिकतम एक वर्ष के लिए एवं इसी प्रकार आगे अधिकतम तीन वर्ष की समयावृद्धि की जा सकेगी।
13. मैस की प्रति वर्ष अनुदान राशि में नियत 10 प्रतिषत की दर से वृद्धि की जावेगी तथा पानी व बिजली बिल पृथक से आवेदनकर्ता को देना होगा।
14. मैस में विक्रय होने वाली सामग्री की दरे प्रतिवर्ष अधिकतम 5 % की दर से दोनो पक्षों की सहमति पर ही बढ़ाई जा सकती है।
15. मैस का समय प्रातः 07:00 बजे से रात्रि 11:00 बजे तक रहेगा। सुबह 07:00 से 11:00 तक नाश्ता, लंच दोपहर 01:00 से 03:00 तक, 04:00 बजे चाय ,काफी एवं स्नेक्स तथा रात का खाना रात्रि 08:00 से 11:00 तक देना होगा।
16. सुबह के नाश्ते में चाय, 100 ग्राम नाश्ता (पोहा/उपमा/छोले/इडली/वड़ा/स्प्राउट्स व 04 ब्रेड/04 बिरिक्ट, बटर की छोटी टिक्की व दुध 200 एम.एल. देना होगा)।
17. दोपहर व रात्रि के भोजन में दाल, सब्जी-02, चावल, रोटिया, अचार, पापड़, सलाद, मीठा/फल आदि 2400 से 3000 किलो कैलोरी का रहेगा।
18. आहार विशेषज्ञ की सलाह अनुसार भोजन की गुणवत्ता एवं केलोरिज अनुसार निर्धारण किया जाना आवश्यक है।
19. शाम को चाय, बिरिक्ट व एक फल रहेगा।
20. प्रति रविवार दोपहर के भोजन में फीस्ट तथा रात्रि का भोजन हल्का रहेगा।
21. ठेका मंजूर होने के दिवस से एक माह के भीतर, आपको कार्य शुरू करना होगा अन्यथा कार्यदेश स्वतः निरस्त हो जावेगा एवं धरोहर राशि राजसात हो जावेगी।
22. ठेका स्वीकृति के पश्चात् ठेकेदार को निर्धारित राशि के स्टाम्प पेपर पर इकरारनामा प्रस्तुत करना होगा। इसका सम्पूर्ण व्यय सफल आवेदनकार को ही वहन करना होगा।
23. ठेका प्रारम्भ करने के पूर्व ठेकेदार को मैस भवन का चार्ज समिति से लिखित में प्राप्त करना होगा तथा ठेका समाप्ति पर तुरन्त ठेकेदार को अपना निजी सामान मैस से हटाकर मैस का चार्ज सात दिवस के अन्दर समिति को अथवा अधिष्ठाता महात्मा गांधी स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय इन्दौर द्वारा आदेशित व्यक्ति को सौंपना होगा। निश्चित अवधि के बाद मैस अथवा उसके किसी भी भाग का आधिपत्य न देना शासकीय भूमि व संपत्ति पर अनाधिकृत अतिक्रमण माना जावेगा तथा ऐसी स्थिति में 3000/-रु. प्रतिदिन का अर्थदण्ड तो लिया ही जावेगा/वसूल किया जावेगा, साथ ही इस संबंध में नियमानुसार कार्यवाही भी की जावेगी।
24. मैस में ईंधन के लिये ठेकेदार द्वारा व्यवसायिक LPG गैस का ही उपयोग किया जाना आवश्यक हैं। डोमेस्टिक LPG गैस का उपयोग प्रतिबंधित है, उपयोग करते हुए पाये जाने पर अनुषासनात्मक कार्यवाही की जावेगी तथा इसकी सम्पूर्ण जवाबदारी मैस संचालक की होगी।
25. मैस में ठेकेदार को आवश्यकतानुसार कर्मचारी रखना होंगे। उनकी पोशाख एकसमान तथा साफ-सुथरी होना अनिवार्य हैं। मैस में कार्य करने वाले कर्मचारियों के नाखून और बालों की सफाई अनिवार्य हैं। कर्मचारी के रूप में रोगी एवं बीमार व्यक्ति तथा बाल मजदुर प्रतिबंधित रहेगे। बाल मजदुर रखने पर उसकी समस्त जवाबदारी मैस संचालक की होगी।
26. शर्तों के साथ निम्नांकित वचन पत्र (नोटरी द्वारा प्रमाणित) आवेदनकर्ता को देना होगा :


 अधिष्ठाता
 डॉ. स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय
 इन्दौर

- (अ) आवेदनकर्ता शासकीय/अर्धशासकीय संस्था द्वारा ब्लेकलिस्टेड घोषित न किया गया हो ।
- (ब) मैं घोषणा करता हूँ कि मैंने आवेदन प्रपत्र एवं आवेदन की शर्तें पूर्णतः पढ़ ली हैं तथा मुझे सभी शर्तें स्वीकार हैं (आवेदनकर्ता के हस्ताक्षर एवं दो गवाहों के हस्ताक्षर नाम, पते एवं फोन नं.के साथ होना आवश्यक है)।
27. अधिष्ठाता चिकित्सा महाविद्यालय इंदौर छात्रावास— गर्ल्स इन्दौर/मैस समिति के सदस्य अथवा उसके द्वारा अधिकृत अधिकारी द्वारा समय-समय पर आकस्मिक निरीक्षण किया जावेगा किस भी प्रकार की अनियमिता पाये जाने अथवा आवेदन की किसी भी शर्त का उल्लंघन करते हुए पाये जाने पर प्रत्येक अवसर पर समिति द्वारा निर्धारित दण्ड देना होगा। तीन निरीक्षणों में यदि मैस में किसी भी प्रकार की अनियमितता पाई गई तो तत्काल प्रभाव से 3 माह का नोटिस देकर ठेका निरस्त करने का अधिकार अधिष्ठाता को होगा।
 28. मैस भवन तथा अन्य स्ट्रक्चर में किसी भी प्रकार का परिवर्तन बिना अधिष्ठाता चिकित्सा महाविद्यालय इन्दौर छात्रावास— गर्ल्स इन्दौर की स्वीकृति के बिना नहीं किया जावेगा तथा मैस भवन को किसी भी प्रकार का नुकसान होगा तो उसकी पूर्ति ठेकेदार की जमा सुरक्षानिधी से की जावेगी।
 29. म.गों.स्मृ.चिकित्सा महाविद्यालय इंदौर, छात्रावास में प्रति छात्र/छात्रा प्रति माह भोजन/टीफिन/थाली की अधिकतम राशि रु. 2500/- निर्धारित रहेगी। मैस के छात्र/छात्रा किसी भी प्रकार से सफल आवेदनकर्ता से भोजन/टीफिन/थाली लेने के लिये बाध्य नहीं रहेंगे।
 30. फर्नीचर तथा मैस में उपयोग में आने वाले समस्त प्रकार के बर्तन आदि की व्यवस्था सफल आवेदनकर्ता को स्वयं अपने व्यय पर करना होगा।
 31. मैस में शुद्ध पानी (R.O. System) की पर्याप्त व्यवस्था ठेकेदार को रखना होगी तथा हाथ धोने के स्थान पर साबुन एवं टावेल रखना होगा। पीने के पानी का एवं हाथ धोने का स्थान अलग-अलग होना चाहिए, जिसकी व्यवस्था मैस संचालक को स्वयं को करनी होगी।
 32. मैस में बिडी, सिगरेट, तम्बाकू आदि किसी भी प्रकार के मादक पदार्थ विक्रय नहीं किया जावेगा और ठेकेदार या उसके कर्मचारी आदि कोई भी मादक पदार्थ का उपयोग नहीं करेंगे। ठेकेदार किसी भी व्यक्ति को मादक पदार्थ बाहर से लाकर मैस में उपयोग करने के लिये अनुमति नहीं देगा। किसी भी प्रकार के मादक पदार्थ पाये जाने पर ठेके की निरस्तकरण की कार्यवाही बिना सूचना के की जावेगी। मादक पदार्थ के प्रतिबंध के साइन बोर्ड लगाने होंगे।
 33. मैस समय से पूर्व या कार्य दिवस पर बंद होने की अवस्था में यथा संभव 3 दिन पूर्व सूचना अधिष्ठाता चिकित्सा महाविद्यालय को लिखित रूप में देनी होगी।
 34. मैस का 06 माह का अग्रिम अनुदान राशि कार्य आवंटित होने के एक सप्ताह के भीतर लेखा शाखा में जमा कराना होगा। तदुपरांत प्रतिमाह की प्रथम तारीख को/अवकाश की स्थिति में आगामी कार्य दिवस संस्था की लेखा शाखा में प्रत्येक माह का किराया जमा कराना होगा। अनुदान राशि विलम्ब होने पर 0.25 प्रतिशत प्रतिदिन के मान से शुल्क जमा करना होगा।
 35. मैस संचालक को बिजली के उपयोग के लिये MPPKVCL द्वारा प्रमाणित एक सब मीटर लगवाना होगा। जिसका बिल ठेकेदार को नियमित रूप से प्रतिमाह बिल की समयावधि में संस्था में जमा करना होगा एवं इलेक्ट्रीक शुल्क वर्तमान MPPKVCL की व्यवसायिक दर से देय होगा। MPPKVCL द्वारा दरें वृद्धि करने पर तदनुसार वृद्धि की जावेगी। बिलो का नियमित भुगतान न करने पर आपके द्वारा जमा की गई धरोहर राशि से इसका कटौत किया जावेगा।
 36. मैस संचालक को अपनी ओर से पानी के बिल हेतु एक मीटर लगवाना होगा जिसका देयक स्वयं को देना होगा।
 37. मैस में एक सुझाव/शिकायत पेट्टी लगाई जावेगी जिसे मैस समिति के सदस्यों द्वारा तीन माह में खोला जावेगा एवं अधिष्ठाता म.गों.स्मृ.चिकित्सा महाविद्यालय इंदौर, छात्रावास— गर्ल्स इन्दौर की अनुमति के पश्चात् उचित कार्यवाही की जावेगी।
 38. म.गों.स्मृ.चिकित्सा महाविद्यालय इंदौर, छात्रावास मैस के मासिक निरीक्षण हेतु 07 सदस्य समिती रहेगी जिसमें की 03 सदस्य चिकित्सा महाविद्यालय के, 03 सदस्य संबधित संस्था के तथा अध्यक्ष उक्त संस्था के संस्था प्रमुख रहेंगे।
 39. किसी भी व्यक्ति या संस्था के पक्ष में ठेका स्वीकृत करने अथवा न करने अथवा मध्यावधि में ही बिना किसी कारण बताये ठेका समाप्त करने का पूर्ण अधिकार अधिष्ठाता महात्मा गांधी स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय इन्दौर छात्रावास—गर्ल्स इन्दौर को रहेगा।
 40. मैस में उपयोग कि जाने वाली कच्ची सामग्री एवं बनी हुई सामग्री की गुणवत्ता की जांच किसी भी समय शासन के सक्षम अधिकारी/संस्थान के अधिष्ठाता/संस्था अधिष्ठाता द्वारा इस हेतु बनाई गई समिति द्वारा कभी भी किसी भी समय की जा सकती है।


 अधिष्ठाता
 म. गों. स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय
 इन्दौर

41. ठेकेदार को मैस के उपयोग के लिये उत्तम किस्म के आवश्यक फर्नीचर (सनमायका टॉप) स्टेनलेस स्टील के बर्तन व उच्च प्रकार की काकरी आदि की व्यवस्था स्वयं करना होगी। प्लास्टिक बर्तन/डिस्पोजेबल का उपयोग वर्जित रहेगा। चाय एवं काफी के लिए सफेद रंग के क्राकरी के कप, प्लेट ही उपयोग किये जावे।
42. मैस के फर्श, फर्नीचर आदि की हमेशा नियमित सफाई रखनी होगी। खाद्य सामग्री को जालीदार अथवा कांच की अलमारी में बन्द कर रखना होगा। मैस के आसपास के एरिया में भी स्वयं के खर्च पर सफाई रखना होगी। मैस में कवर युक्त डस्टबीन ही रखे जावे।
43. मैस संचालक को मैस की नियमित सेनेटाईजेशन, मैस कर्मचारियों के मास्क आदि की व्यवस्था स्वयं को अपने स्तर पर करनी होगी।
44. मैस में प्रदाय किये जाने वाले पदार्थ शुद्ध एवं उच्च गुणवत्ता वाली सामग्री का उपयोग किया जावे। इस संबंध में अधिष्ठाता संबंधित संस्था के संबंधित अधिकारी द्वारा समय-समय पर दिये गये निर्देशों का भी पालन करना होगा।
45. आदेश दिये जाने पर खाद्य सामग्री व चाय आदि म.गों.स्मू.चिकित्सा महाविद्यालय इंदौर, छात्रावास मैस इन्दौर के कार्यालय एवं विभागों में स्वयं ठेकेदार को भेजने की व्यवस्था करनी होगी। जिसके लिए कोई अतिरिक्त राशि का भुगतान नहीं किया जावेगा।
46. खाद्य सामग्री उत्तम गुणवत्ता की कच्ची सामग्री उपयोग करते हुए बनाना होगा। रिफाईन्ड तेल का उपयोग करना होगा। ताजी सब्जियाँ, दूध, दही, आदि का ही उपयोग करना होगा। एक दिन पूर्व की बनी हुई खाद्य सामग्री का उपयोग वर्जित रहेगा। मैस में मासाहारी खाद्य पदार्थ (मांस, मछली, इत्यादि) का बनाना एवं खाना (किसी भी रूप में) पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।
47. संस्थान में समय-समय पर होने वाले बैठकों कार्यशालाओं, अन्य आयोजनों पर आदेशित सामग्री एवं उनसे संबंधित समस्त निर्देशित व्यवस्थाएं आपको करना होगी।
48. ठेकेदार को मैस स्वयं चलाना होगा। वह किसी अन्य व्यक्ति अथवा संस्था को हस्तांतरित अथवा सबलेट नहीं कर सकेगा। ऐसा करने पर ठेका स्वतः निरस्त माना जावेगा।
49. संस्थान द्वारा जारी शर्तों के अतिरिक्त, ठेकेदार को किसी भी शर्त को स्वीकार नहीं किया जावेगा।
50. मैस में किसी भी प्रकार का उपद्रव, आपत्तिजनक शोरगुल पूर्णतः निषेध रहेगा। मैस में अनुशासन व शांति बनाये रखना ठेकेदार का ही कर्तव्य होगा।
51. मैस में दूध व अन्य खाद्य सामग्री को रखने के लिये फ्रिज एवं चीलर आवश्यक रूप से रखना होगा।
52. मैस में प्रयोग की जाने वाली चटनीयाँ व सलाद प्रतिदिन ताजा होना चाहिए तथा ट्मेटो सॉस ब्रांडेड होना चाहिए।
53. मैस में ठंडे खाने को गर्म करने हेतु एक माइक्रोवेव ओवन की व्यवस्था करनी होगी।
54. मैस तथा उससे संबंधित उपयोग में आने वाले स्थान की साफ-सफाई एवं अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं की पूर्ण जिम्मेदारी आवेदनकर्ता की ही होगी। इसका समस्त व्यय उसे ही करना होगा। नगर-निगम व शासन की साफ-सफाई हेतु समस्त नियमनावाली का पालन करना होगा, अन्यथा उक्त शासन के उपक्रम द्वारा की जाने वाली कार्यवाही का जवाबदार मैस संचालक स्वयं रहेगा।
55. सामग्री के टेबल अथवा संस्थान परिसर में आदेशित स्थान पर सामग्री व्यवस्थित रूप से पहुँचाने एवं उसके सर्विस करने तथा उपयोग उपरान्त साफ-सफाई करने की जिम्मेदारी ठेकेदार की ही होगी। इसके लिये कोई अतिरिक्त राशि का भुगतान नहीं किया जावेगा।
56. मैस में जो कर्मचारी रखे जावें उनकी सूची, फोटो, पते एवं फोन न. आदि अधिष्ठाता के कार्यालय में समय-समय पर देना होंगे, बाल मजदुर प्रतिबंधित रहेंगे तथा सभी का पुलिस वैरिफिकेशन अनिवार्य होगा।
57. ठेकेदार एवं मैस में कार्य करने वाले कर्मचारी अपनी किसी भी प्रकार की हानि के लिए स्वयं ही जवाबदार होगा।
58. अधिष्ठाता चिकित्सा महाविद्यालय इन्दौर को उपरोक्त शर्तों में कमी अथवा संशोधन करने का पूर्ण अधिकार है।
59. मैस ठेके अनुशासन या विवाद आदि में अधिष्ठाता चिकित्सा महाविद्यालय इन्दौर का निर्णय अंतिम तथा ठेकेदार को बंधनकारक होगा।
60. इस संबंध में किसी भी प्रकार के आदेश के विरुद्ध अपील सुनने का अधिकार अधिष्ठाता चिकित्सा महाविद्यालय इन्दौर का होगा व उनका निर्णय अंतिम होगा।
61. संस्थान को किसी भी प्रकार की बकाया राशि, जमा की गई सुरक्षा धन राशि में से वसूल की जावेगी।


अधिष्ठाता
चिकित्सा महाविद्यालय
इन्दौर

62. किसी भी प्रकार की न्यायलयीन कार्यवाही का कार्यक्षेत्र इन्दौर रहेगा ।
63. अधिष्ठाता चिकित्सा महाविद्यालय इन्दौर को कोई भी आवेदन स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार रहेगा ।
64. आवेदनकर्ता के आवेदन प्रपत्र में प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर एवं सील अंकित होना चाहिए तथा आवेदन स्पष्ट होना चाहिए। कांट-छांट नहीं होना चाहिए। अपूर्ण आवेदन अस्वीकृत की जावेगी।

अधिष्ठाता
महात्मा गांधी स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय
इन्दौर

मेरे द्वारा दी गई जानकारी सत्य है मैंने म.गॉ.स्मृ.चिकित्सा महाविद्यालय इंदौर, छात्रावास मैस ठेके के संबंध में जारी समस्त शर्तें अच्छी तरह से पढ़ व समझ ली है, जो मुझे मान्य है।


निविदाकर्ता के हस्ताक्षर :-

नाम एवं पूर्ण पता :-

संस्था का नाम.....

संस्था की सील.....

दिनांक:-.....


अधिष्ठाता
म. गॉ. स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय
इन्दौर

महात्मा गॉधी स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय, इन्दौर

प्रपत्र-अ

अनिवार्य दस्तावेज जो कि "प्रपत्र-अ" में रखे जाने है निम्नानुसार है-
धरोहर राशि का विवरण (प्रारूप)


1. संस्था का नाम जिसमे मैस हेतु अवेदन किया गया
2. राशि रु
3. एफ. डी. आर (3 वर्ष) की अवधि (केवल राष्ट्रीयकृत बैंक).....
4. जारी होने का दिनांक
5. जारी करने वाले बैंक का नाम व शाखा का नाम/पता
6. भुगतान का स्थान.....

अनिवार्य दस्तावेज जो कि "प्रपत्र-अ" में रखे जाने है निम्नानुसार है-

क्र.	अनिवार्य दस्तावेज	हाँ/ना
1	P.F. /E.P.F. का लायसेंस।	अनिवार्य
2	फर्म के 04 वर्ष का स्थापना का लायसेंस।	अनिवार्य
3	चरित्र प्रमाण-पत्र सर्टिफिकेट (कार्यरत संस्थान द्वारा प्रमाणित)।	अनिवार्य
4	आवेदन पत्र में उल्लेखित वचन पत्र (नोटराईज्ड)।	अनिवार्य
5	टेण्डर फार्म प्रत्येक पेज पर हस्ताक्षर किया हुआ हो।	अनिवार्य
6	नगर निगम/सक्षम अधिकारी खाद्य विभाग द्वारा कार्य हेतु योग्यता के संबंध में जारी प्रमाण-पत्र/लाइसेन्स।	अनिवार्य
7	जी.एस.टी. नं. एवं पेन नं. अनिवार्य हैं।	अनिवार्य
8	फोटोयुक्त पहचान पत्र-आधार कार्ड या ड्रायविंग लाइसेंस अनिवार्य हैं।	अनिवार्य

प्रपत्र-अ में चाहे गये समस्त दस्तावेजो को उपलब्ध कराना अनिवार्य है। उक्त दस्तावेजो की अनउपलब्धता में प्रपत्र-ब व प्रपत्र-स नही खोले जावेगे तथा उक्त आवेदनकर्ता को टेण्डर की आगे की प्रक्रिया में सम्मिलित नही किया जावेगा। ऐसे आवेदनकर्ताओ के आवेदन फार्म निरस्त माने जावेगे।

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर :-


अधीष्ठात
महात्मा गॉधी स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय
इन्दौर

महात्मा गाँधी स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय, इन्दौर

प्रपत्र-ब

संस्था का नाम जिसमें मैस हेतु अवेदन किया गया

तकनीकीय निविदा

निविदाओ की श्रेणी का उनके द्वारा प्राप्तांको के आधार पर मुल्यांकन किया जावेगा। यह मुल्यांकन 100 प्रतिशत अंको में से प्राप्त कुल अंको पर किया जावेगा। तकनीकीय मुल्यांकन के 60 प्रतिशत अंक एवं वित्तीय मुल्यांकन के 40 प्रतिशत अंक निर्धारित किये गये है।

तकनीकीय निविदा के मुल्यांकन नीचे दर्शाये गये अंको के अनुसार किया जावेगा। कुल 100 प्रतिशत अंको के मापदंड का विवरण निम्नानुसार है:-

- | | |
|--|----------|
| 1. शासकीय संस्थान में कार्यरत् फुड लाइसेंस | - 10 अंक |
| 2. C.A द्वारा प्रमाणित सर्टिफिकेट प्रतिवर्ष 3 करोड़ का मिनिमम टर्न-ऑवर (पूर्व के 03 वित्तीय वर्षों का) हो जो कि सिर्फ केटरिंग कार्य से हो। | - 40 अंक |
| 3. पूर्व में चिकित्सालयों में संतोषप्रद कार्य का अनुभव प्रमाण पत्र | - 40 अंक |
| 4. संस्था का आई.एस.ओ 9001:2015 | - 05 अंक |
| 5. संस्था का आई.एस.ओ 22000:2018 | - 05 अंक |

कुल 100 अंक


10
आधिष्ठाता
महात्मा गाँधी स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय

तकनीकीय मुल्यांकन की पध्दति-60

क्र.	मुल्यांकन की मापदण्डता	अधिकतम अंक	अंको का विभाजन	मुल्यांकन की पध्दति	प्राप्तांक
1	शासकीय संस्थानों में फुड लायसेंस जो कि वर्तमान में कार्यरत हो।	10	सफल निविदाकार को न्युनतम 05 अंक	दो या अधिक शासकीय संस्थान में कार्यरत फुड लाइसेंस	10
				एक शासकीय संस्थान में कार्यरत फुड लाइसेंस।	05
2	C.A द्वारा प्रमाणित सर्टिफिकेट प्रतिवर्ष 3 करोड़ का मिनिमम टर्न-ऑवर (पूर्व के 03 वित्तीय वर्षों का) हो जो कि सिर्फ केटरिंग कार्य से हो।	40	सफल निविदाकार को न्युनतम 10 अंक	05 करोड़ या अधिक का प्रतिवर्ष का मिनिमम टर्न-ऑवर	40 अंक
				03 से अधिक तथा 05 करोड़ से कम का प्रतिवर्ष का मिनिमम टर्न-ऑवर	20
				03 करोड़ का प्रतिवर्ष का मिनिमम टर्न-ऑवर	10
3	पूर्व में चिकित्सालय में संतोषप्रद कार्य का अनुभव प्रमाण पत्र	40	सफल निविदाकार को न्युनतम 10 अंक	500 बिस्तरीय या अधिक के चिकित्सालय में कार्य का अनुभव	40
				200 से 500 बिस्तरीय चिकित्सालय में कार्य का अनुभव	20
				200 से कम बिस्तरीय चिकित्सालय में कार्य का अनुभव	10
4	संस्था का आई.एस.ओ 9001:2015	05	सफल निविदाकार को न्युनतम 05 अंक		05
5	संस्था का आई.एस.ओ 22000:2018	05	सफल निविदाकार को न्युनतम 05 अंक		05

नोट:- टेक्निकल मुल्यांकन में न्युनतम 60 अंक आना अनिवार्य है। जिन आवेदनकर्ताओं को 60 अंक से कम अंक प्राप्त होंगे ऐसे आवेदनकर्ताओं को टेण्डर की आगे की प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं किया जावेगा, उनके आवेदन फार्म निरस्त माने जावेंगे। न्युनतम अंक प्राप्त आवेदनकर्ता का ही वित्तीय दर (प्रपत्र-स) का लिफाफा खोला जावेगा।

तकनीकीय मुल्यांकन की पध्दति इस प्रकार की होगी। कुल अंको को X माना जायें एवं $X/100 \times 60$ से प्रत्येक आवेदनकर्ता की गणना होगी।


सहायक निदेशक
ए. वी. स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय
 2021

महात्मा गॉंधी स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय, इन्दौर
वित्तीय निविदा
प्रपत्र-स

संस्था का नाम जिसमे मैस हेतु आवेदन किया गया

- दर सूची जो कि आवेदनकार द्वारा स्पष्ट अक्षरो में भरकर एवं हस्ताक्षर कर एवं सील लगाकर लिफाफा "C" में रखी जावेगी ।
- वित्तीय मुल्यांकन के 40 प्रतिशत अंक निर्धारित किये गये है।

संस्थानो के इस कार्य हेतु उपलब्ध कराये गये निर्धारित स्थानो का उपलब्ध क्षेत्रफल जो कि मैस संचालक को संचालन हेतु दिया जावेगा, अन्य क्षेत्र का उपयोग निषेध होगा। निम्नलिखित मैस का अनुदान प्रतिमाह आवेदनकर्ता को आपने प्रस्ताव में उल्लेखित करना होगा तथा उक्त मैस का न्युनतम अनुदान प्रतिमाह रहेगा जो की निम्नानुसार है :-

क्रमांक	मैस का नाम	न्युनतम अनुदान प्रतिमाह (a)	अनुदान प्रतिमाह आवेदनकर्ता द्वारा भरा जावेगा (b)
01	म.गॉ.स्मृ.चिकित्सा महाविद्यालय इंदौर, छात्रावास- गर्ल्स इन्दौर	25,000 /- (पच्चीस हजार रु.)	

वित्तीय निविदा दर के 40 प्रतिशत अंक। वित्तीय निविदा दर की मुल्यांकन की पध्दति इस प्रकार की होगी

a- न्युनतम दर (न्युनतम अनुदान प्रतिमाह)

b- आवेदनकर्ता की दर (अनुदान प्रतिमाह आवेदनकर्ता द्वारा भरा) = $a/b*40$


निविदाकर्ता के हस्ताक्षर:-

नाम एवं पूर्ण पता:-

संस्था का नाम:-.....

संस्था की सील:-.....

दिनांक:-.....


अध्यक्ष
म. गॉ. स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय
इन्दौर